मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल, भोपाल

एफ–7 सांची कॉम्पलेक्स, बोर्ड ऑफिस के सामने, भोपाल म.प्र. 462016
दूरभाषः 0755–2767786 ई–मेलः registrarmpmc@gmail.com

क्र. एमपीएमसी/ जीएससी / 2019/ 1855 भोपाल दिनांक 5/4/2019.

//परिपत्र//

विषयः मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत चिकित्सकों को गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट (एमपीएमसी) जारी किया जाना ।

1. **सेवा का उद्देश्यः–** मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत चिकित्सकों को गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करना ।
2. **पदाभिहित अधिकारी :–**

   रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल
3. **आवेदन पत्र एवं प्रारूप :–**

   आवेदन एम. पी. ऑनलाइन पोर्टल, लोक सेवा केन्द्र अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही किया जायेगा ।
4. **पात्रता की आवश्यक शर्ते :–**

   4.1 आवेदक मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल से स्थायी रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है।
5. **आवश्यक दस्तावेज :–**

   5.1 स्नातक चिकित्सा अर्हता का पंजीयन प्रमाण पत्र ।

   5.2 स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हता का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि हो तो)।

   5.3 यदि आवेदक मध्य प्रदेश के शासकीय / स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय से एमबीबीएस अथवा पी. जी. उपाधि प्राप्त की है तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सेवा हेतु बॉन्डेड है तो उक्त बॉन्ड की पूर्णता के संबंध में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/आदेश की प्रति

   अथवा

   ग्रामीण क्षेत्र में सेवा हेतु बॉन्डेड न होने के संबंध में कोई अधिकृत प्रमाण की प्रति ।
6. आवेदक को एम. पी. ऑनलाईन पोर्टल से आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना होगी–

   6.1 आवेदक को मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल द्वारा जारी गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो तो उक्त आवेदन ऑनलाइन (www.mpmc.mponline.gov.in) प्रस्तुत करना होगा।

   6.2 यदि आवेदक को मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा जारी गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो तो वे म0 प्र0 मेडिकल कौंसिल भोपाल से संपर्क करें।

6.3 यदि आवेदक प्रथम बार ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर रहा है तो पहले उसे अपना User Profile बनाना होगा। User Profile आवेदक के आधार नंबर के माध्यम से OTP/ Biometric से पुष्टि होकर बनेगा।

6.4 User Profile में दर्ज किये गये मोबाइल नम्बर ही आवेदक का यूजर आईडी होगा तथा ओटीपी (पासवर्ड) उक्त दर्ज मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होगा । आवेदक को अवगत कराया जाता है कि वे अपना स्थाई मोबाईल नम्बर ही अपने User Profile में दर्ज करें ।

6.5 आवेदक को अपने User Profile के माध्यम से ही गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

6.6 आवेदक को लॉगईन में अपना फोटो एवं हस्ताक्षर एक साथ स्केन कर निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करना होगा । Appendix 'A'

6.7 आधार में पंजीकृत नाम एवं मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल के स्टेट मेडिकल रजिस्टर में पंजीकृत आवेदक का नाम एक समान होना चाहिए। यदि दोनों में कोई असमानता है तो आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व अपने अभिलेख सही करवा लें । आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा अपना नाम, मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल एड्रेस सही–सही भरा जावे। एक बार आवेदन पत्र जमा होने के बाद नाम, मोबाईल नम्बर एवं ईमेल में कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं होगा ।

6.8 आवेदन में कोई कमी पाई जाती है तो संशोधन हेतु आवेदन आवेदक को ऑनलाइन वापस (Sent Back) किया जावेगा । ऐसी स्थिति में आवेदक को अपने लॉगइन पर जाकर आवेदन में संशोधन कर पुनः प्रस्तुत करना होगा।

6.9 आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना एवं कंडिका –5 में बताये अनुसार आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड करना होगा। ऐसे अभिलेख की साईज 200KB(jpg/pdf) से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

6.10 आवेदक को बिंदु क्रमांक –8 अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाईन किया जाना होगा।

6.11 ऑनलाईन आवेदन जमा होने पर सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती (Receipt) तैयार होगी।

6.12 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा जारी गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट आवेदक के User Profile में अपलोड होगा जहां से आवेदक स्वयं एक बार प्रिंट ले सकते हैं।

6.13 म. प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की सूचना कारण सहित आवेदक को उसके लॉगईन पर प्रेषित की जावेगी ।

7. आवेदन प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी रजिस्ट्रार, म.प्र. मेडिकल कौंसिल द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी –

7.1 निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर निर्धारित समय–सीमा में आवेदन का निराकरण किया जावेगा ।

7.2 यदि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के विरूद्ध म0 प्र0 मेडिकल कौंसिल में कोई शिकायत पंजीबद्ध है अथवा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम स्टेट मेडिकल रजिस्टर से हटाया गया हो तो म0 प्र0 मेडिकल कौंसिल द्वारा गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जावेगा।

7.3 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत यदि आवेदन गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन को स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा पारित किया जावेगा । आदेश की प्रति आवेदक के लॉगईन पर प्रेषित की जावेगी ।

7.4 आवेदन एवं दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट के लिए पात्र पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत कर गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट जनरेट किया जावेगा।

7.5 डिजिटल हस्ताक्षरित गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट आवेदक के User Profile में प्रेषित किया जावेगा ।

8. शुल्क –

8.1 अन्य राज्य में पंजीयन के लिए गुड स्टेंडिंग सर्टिफिकेट जारी करने हेतु अप्रतिदेय (non refundable) पंजीयन शुल्क रू. 2500.00 (दो हजार पाँच सौ) है।

8.2 उपरोक्त के अतिरिक्त आवेदक को एम. पी. ऑन लाईन पोर्टल शुल्क रूपये 50/– का भुगतान करना होगा ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

पृ0 क्रं. एमपीएमसी/ जीएससी / 2019/ 1856-1900 भोपाल दिनांक 4/4/2019.

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म. प्र. की ओर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म. प्र. एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं म. प्र. की ओर सूचनार्थ ।
4. कार्यपालन संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं सुशासन भवन द्वितीय तल, भदभदा रोड़, टी. टी. नगर, भोपाल ।
5. संचालक चिकित्सा शिक्षा म. प्र. की ओर सूचनार्थ ।
6. रजिस्ट्रार, म. प्र. मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज केम्पस, जबलपुर 482003.
7. समस्त रजिस्ट्रार, म. प्र. के चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एम पी ऑनलाईन लिमिटेड, ब्लाक–ओ.बी., 14–17, चतुर्थ मंजिल, डी बी सिटी कार्पोरेट पार्क, अरेरा हिल्स, एम. पी. नगर जोन–1 के सामने, भोपाल।
10. श्री आयुष तिवारी, बिजनेस एनालिसिस्ट, एमपीऑनलाईन भोपाल ।
11. उप पंजीयक म. प्र. मेडिकल कौंसिल, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. समस्त कर्मचारी, स्थानीय कार्यालय म. प्र. की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

रजिस्ट्रार
मध्य प्रदेश मेडिकल कौंसिल भोपाल

Appendix 'A'

Colour Photo
Signature